दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा अनुभाग RAJBHASHA SECTION)

कमरा संख्या : 308, तृतीय तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1807)
Room No.:308, 3rd Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1807)

फाइल संख्या: आरबीसी/01/2012/ 1000/ 295 Letter दिनांक: 26-09-2012.

32288-582

परिपत्र CIRULAR

विषय : राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु संवैधानिक प्रावधान।

Sub : Constitutional provisions for implementation of Official Language Hindi.

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली विश्वविद्यालय की 03 अगस्त, 2012 को सम्पन्न बैठक में राजभाषा के प्रचार के संबंध में बनाए गए अधिनियमों/नियमों का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में संविधान, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों की जानकारी एवं इसके कार्यान्वयन के लिए नोट करें।

OLIC, University of Delhi in its meeting held on 03rd August, 2012 has decided to implement the Acts/Rules framed in connection with promotion of Official Language Implementation. Accordingly, Officers/Employees of University of Delhi are requested to note the provisions of Constitution, Act and Rules in connection with the implementation of Official Language for information and its implementation.

1. संघ सरकार की राजभाषा नीति Official Language Policy of the Union:

अनुच्छेद 343(1)- संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

Article 343 (1)- The official language of the Union shall be HIndi in Devanagri Script. The form of numeral for the official purposes of the Union shall be the International form of Indian numerals.

अनुच्छेद 351- संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चत करें ।

Artcle 351- It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language to develop it so that it may serve as medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in other languages of India specified in the Eighth Schedule and by drawing, wherever necessary or desirable for its vocabulary, primarlily on Sanskrit and secondarily on other languages.

2. राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) The Official Language Act,1963(As amended, 1967):

धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित कागज़ात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए जाएंगे-

The Following papers covered under section3 (3) shall be issued in Hindi and English-

संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्र, संविदा, करार अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, सूचना तथा संविदा प्रारूप